"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 मई 2026—वैशाख 25, शक 1948

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11 मार्च 2026

क्रमांक ESTB-102(1)/67/2026-GAD-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री चंदन कुमार, भा.प्र.से. (2011), विशेष सचिव, वित्त विभाग एवं अतिरिक्त प्रभार संचालक, बजट तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2026.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 4 मई 2026

क्रमांक ESTB-102(1)/257/2026-GAD-2.—राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक RULE-505/6/2026-GAD-1, दिनांक 30-04-2026, द्वारा "छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल" की स्थापना की गई है. अत: उक्त अधिनियम की धारा 22 के प्रावधान अनुसार "छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल" का विलय "छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल" में हो जाने के फलस्वरूप राज्य शासन, एतद्द्वारा श्रीमती रेणु जी. पिल्ले, भा.प्र.से. (1991), अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल तथा अतिरिक्त प्रभार अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल को छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की स्थापना तिथि से आगामी आदेश पर्यन्त अस्थायी रूप से अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के पद पर पदस्थ करता है.

2. श्रीमती रेणु जी. पिल्ले, भा.प्र.से. उपरोक्त पदस्थापना के अतिरिक्त अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के अतिरिक्त प्रभार में यथावत रहेंगी.

3. श्रीमती रेणु जी. पिल्ले, भा.प्र.से. द्वारा अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत् अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के मुख्य सचिव वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11 मार्च 2026

क्रमांक ESTB/2396/2026-GAD-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री तीर्थराज अग्रवाल, भा.प्र.से. उप सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं अतिरिक्त प्रभार उप सचिव, धर्मस्व एवं धार्मिक न्यास विभाग को केवल उप सचिव, धर्मस्व एवं धार्मिक न्यास विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्वेष घृतलहरे, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 6 मई 2026

क्रमांक GENS-21/731/2026-C&I.—बॉयलर्स अधिनियम, 2025 की धारा 38(3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड तमनार, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) के बॉयलर क्रमांक सी.जी./245 को दिनांक 06-05-2026 से दिनांक 30-10-2026 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 11(1)(c) के अंतर्गत छूट प्रदान करता है :—

1. संदर्भाधीन बॉयलर में दुर्घटना होने या पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना बॉयलर्स अधिनियम, 2025 की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उक्त अधिनियम की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लो-डाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. उक्त अधिनियम एवं इसके नियमों की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी एवं

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो इस छूट में संशोधन कर सकता है अथवा इसे वापस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार पटेल, उप-सचिव.

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 24 अप्रैल 2026

क्रमांक Rule-801/4/2025-Revenue-Part(1).—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 30 एवं धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, न्यायालयीन प्रक्रियाओं में एकरूपता एवं दक्षता को सुनिश्चित करने हेतु, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित प्रक्रिया अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

1. जहां राजस्व अधिकारी/राजस्व न्यायालय द्वारा धारा 30 में उल्लिखित कार्यवाही के प्रयोजन हेतु कोई दस्तावेज, प्रकरण, नस्ती इत्यादि की माँग की जाती है, तो दस्तावेज या अभिलेख की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ), सम्यक् रूप से सत्यापन एवं उसमें अंतर्विष्ट पृष्ठों की कुल संख्या का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए, ई-कोर्ट प्रबंधन प्रणाली या शासकीय कार्यक्षेत्र (nic/gov) की ई-मेल आईडी के माध्यम से भेजी जा सकेगी.

2. धारा 33 प्रयोजन हेतु ई-कोर्ट प्रबंधन प्रणाली एवं शासकीय कार्यक्षेत्र (nic/gov) के ई-मेल प्लेटफार्म को विहित किया जाता है. इस हेतु राजस्व न्यायालय में प्रकरण/याचिका प्रस्तुत करते समय आवेदक/अनावेदक का मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आईडी प्राप्त किया जायेगा और पंजीयन के समय ई-कोर्ट सिस्टम में प्रविष्ट किया जायेगा ताकि संबंधित व्यक्तियों को एस.एम.एस. और ई-मेल के माध्यम से सूचना/जानकारी प्रेषित की जा सके.

No. Rule-801/4/2025-Revenue-Part(1).—In exercise of the powers conferred by Section 30 and Section 33 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), to ensure uniformity and efficiency in the Court proceeding the State Government, hereby, notifies the following procedure, namely :—

1. Where the Revenue Officer/Revenue Court called any document, case, file, etc. for the purpose of proceeding mentioned in Section 30, the scanned copy (PDF) of the document or record may be transmitted through E-Court Management System or the e-mail ID of the Government Domain (nic/gov) after due verification and with specific mention of the total number of pages contained therein.

2. E-Court Management System and e-mail platform of Government Domain (nic/gov) is prescribed for the purpose of Section 33, While presenting the case/petition in the Revenue Court, the mobile no. and e-mail ID of the applicant/non-applicant shall be obtained for this and entered in E-Court System at the time of registration so that the notice/information may be sent to the concerned persons through S.M.S. and e-mail.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार मरकाम, उप-सचिव.

LAW AND LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Atal Nagar Nava Raipur (C.G.)

Nava Raipur, the 17th October 2025

F. No. 1185/2909/XXI-B/C.G./2025.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984), the State Government, hereby, with the concurrence of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh and in compliance of Memo No. 1160/Confdl./2025/II-15-2/2005 (Pt. IV), Bilaspur, dated 15-10-2025, hereby, appoints the following member of Higher Judicial Service as specified in column (2) of the Schedule below as Judge, Family Court, as mentioned in column (3) of the Schedule, from the date he assumes charge of his office, namely :—

S. No.	Name of Judicial Officer with present place of posting	Name of the Court
(1)	(2)	(3)
1.	Shri Rajbhan Singh Special Judge, S.C. & S.T. (P.A.) Act, Bilaspur	Judge, Family Court, Baloda-Bazar

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SUSHMA SAWANT, Principal Secretay.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29 अप्रैल 2026

File No. Rule/237/2026-Labour.—राज्य शासन एतद्द्वारा छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 6 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में निम्नानुसार 02 राज्य विधानसभा सदस्यों को मनोनीत किया जाता है :—

1. श्री चैतराम अटामी — सदस्य
   क्षेत्र क्रमांक-88, दंतेवाड़ा

2. श्री सुशांत शुक्ला — सदस्य
   क्षेत्र क्रमांक-31, बेलतरा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कीर्तिवर्धन उपाध्याय, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सरगुजा, दिनांक 30 मार्च 2026

रा. प्र. क्रमांक/07/अ-82/2025-26.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	डडगांव प.ह.नं. 25	8.764	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बलरामपुर, जिला बलरामपुर-रा.गज	गगर फिडर जलाशय योजना ग्राम-डडगांव के डुबान क्षेत्र

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), धौरपुर जिला-सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत वसंत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 20 मार्च 2026

क्रमांक/1560/भू-अर्जन/कले./2026.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज

(ख) तहसील-राजपुर

(ग) नगर/ग्राम-ओंकरा, प.ह.नं. 17

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.202 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	248/2	0.202
योग		0.202

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गागर व्यपवर्तन योजना

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजपुर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज छ.ग. के कार्यालय में किया जा सकता है

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र कटारा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक-**A** एकात्म पथ, सेक्टर-24, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 17 फरवरी 2026

क्रमांक/GENS/20652/2025-Section-Scheme/Registration/Grievance/Legal/.Lega.—"भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित "दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना" में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक/33/04/योजना/बीओसी/2022/119 दिनांक 12-05-2022 के कंडिका (अ) योजना का प्रावधान में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :—

कंडिका (अ) योजना का प्रावधान —

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा राशि रुपये 1,00,000/- (अक्षरी राशि एक लाख रु) अनुदान दिया जावेगा के स्थान पर "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा गुणवत्तायुक्त ई-रिक्शा लिये जाने के उद्देश्य से क्रयमूल्य राशि का 60 प्रतिशत् या अधिकतम राशि 1,50,000/- (अक्षरी एक लाख पचास हजार रुपये) जो भी कम हो, अनुदान दिया जावेगा.

(शेष नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी)

गिरीश रामटेके
सचिव

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 17th October 2025

No. 1186/Confdl./2025/II-2-1/2025.—The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, who is posted in the capacity as mentioned in Column No. (3) is, henceforth, Posted in the capacity as mentioned in column No. (4) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Presently Posted in the capacity (3)	Henceforth posted in the capacity (4)
1.	Shri Venseslas Toppo	VII District and Additional Sessions Judge, Bilaspur	District and Additional Sessions Judge, II F. T. S. C. (POCSO), Bilaspur

Bilaspur, the 17th October 2025

No. 1188/Confdl./2025/II-2-1/2025.—The following Members of Higher Judicial Service as specified in Column No. (2) of the table below, is hereby transferred from the place mentioned in Column No. (3) and is posted on the post of Special Judge of the Special Court established by the State Government under Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 at the place mentioned in Column no. (4) from the date he assumes charge of his office and ;

The following Member of Higher Judicial Service is appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Lavakesh Pratap Singh Baghel, District and Additional Sessions Judge, II F. T. S. C. (POCSO)	Bilaspur	Bilaspur	Bilaspur	Special Judge under S.C. & S.T. (P.A.) Act

By order of the High Court,
RAJNISH SHRIVASTAVA, Registrar General.